न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 48/2008

1 नर्बदा देवी बेवाह बोदूराम।
2 रामनिवास पुत्र बोदूराम।
3 महेश पुत्र बोदूराम।
4 रमेश पुत्र बोदूराम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ढ़ाणी स्वयं तन बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 माली देवी बेवाह रिछपाल।
2 मदन पुत्र रिछपाल।
2/1 माली देवी बेवा रिछपाल।
2/2 रेशमी देवी बेवा मदन।
2/3 रतनलाल पुत्र मदन समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण बासड़ी तन झिराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2/4 मीरा पुत्री मदन पत्नी रूपेश जांगिड़ जाति जांगिड़ निवासी तिवाड़ी का बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2/5 तेजपाल पुत्र प्रहलाद।
2/6 परमेश्वर पुत्र तेजपाल अवयस्क आयु 6 वर्ष द्वारा निज पिता तेजपाल पुत्र प्रहलाद।
2/7 कुमारी गुन्नू पुत्री तेजपाल अवयस्क आयु 4 वर्ष द्वारा निज पिता तेजपाल पुत्र प्रहलाद समस्त जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नम्बर 1 रिद्दि सिद्दि कॉलोनी खण्डेला रोड़ श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 गिरधारी पुत्र रिछपाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 संतुराम पुत्र रिछपाल।

5 राजू पुत्र रिछपाल।

6 बनवारी पुत्र रिछपाल निवासीगण ढ़ाणी तन बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

7 घीसालाल पुत्र महादेव प्रसाद फौत।

7/1 गीता देवी बेवा घीसालाल।

7/2 मुकेश पुत्र घीसालाल।

7/3 अशोक पुत्र घीसालाल।

7/4 सुमित्रा बेवा कैलाश।

7/5 पिन्टू उर्फ पवन पुत्र कैलाश।

7/6 पंकज पुत्र कैलाश।

7/7 मनीषा पुत्री कैलाश समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण बासड़ी तन झिराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

7/8 सुमन देवी पुत्री कैलाश पत्नी मुकेश जाति जांगिड़ निवासी कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

7/9 माया देवी पुत्री कैलाश पत्नी विकास जाति जांगिड़ निवासी कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

7/10 ममता पुत्री घीसालाल पत्नी सुरेशचन्द्र।

7/11 निर्मला पुत्री घीसालाल पत्नी महेन्द्र कुमार समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण सीलपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।

7/12 सुशिला देवी पुत्री घीसालाल पत्नी बसन्त कुमार जाति जांगिड़ निवासी हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

8 महेन्द्र पुत्र श्रीकिशन।

9 दिनेश पुत्र श्रीकिशन।

10 किशोर पुत्र श्रीकिशन।

11 अरविन्द पुत्र श्रीकिशन।

12 पप्पू पुत्र श्रीकिशन।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 सायरा देवी बेवाह श्रीकिशन समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ढ़ाणी तन बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

14 छगन पुत्र मोहरीलाल फौत।

14/1 लक्ष्मी देवी बेवा छगन।

14/2 उमेश पुत्र छगन।

14/3 आशीष पुत्र छगन समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ढ़ाणी बासड़ी तन झिराणा वर्तमान निवासी हरमाड़ा घाटी सीकर रोड़ बी.एस. पैराडाईज के सामने वाया वी.के. आई जयपुर पिन 302013।

14/4 आशा देवी पुत्री छगन पत्नी कृष्ण कुमार।

14/5 निशा देवी पुत्री छगन पत्नी कृष्ण कुमार समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण जे–18 शेखावाटी नगर मुरलीपुरा रोड़ नम्बर 6 सीकर रोड़ बी.के. आई. जयपुर।

14/6 सरोज जांगिड़ पुत्री छगन पत्नी पवन कुमार जाति जांगिड़ निवासी शिव कॉलोनी सीकर रोड़ वाया वी.के. आई राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

15 जगदीश पुत्र मोहरीलाल जाति जांगिड़ निवासी बासड़ी तन झिराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

16 सांवरमल पुत्र मोहरीलाल फौत।

16/1 गुलाब देवी बेवा सांवरमल।

16/2 संदीप पुत्र सांवरमल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण बासड़ी तन झिराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर वर्तमान निवासी प्लॉट नम्बर 25 जयनारायणपुरी हरनाथपुरा निवारू रोड़ 200 फिट बाईपास के नजदीक जयपुर।

16/3 पूनम पुत्री सांवरमल पत्नी पवन कुमार जाति जांगिड़ निवासी घिनोई वाया कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

17 नागरमल पुत्र मोहरीलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

18 चिरंजी पुत्र मोहरीलाल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ढ़ाणी तन बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
19 भागोती देवी बेवा मोहरीलाल फौत नाम हजफ किया गया।
20 राधेश्याम पुत्र रामदेव फौत।
20/1 नर्बदा देवी बेवा राधेश्याम।
20/2 सतीश पुत्र राधेश्याम।
20/3 मनोज पुत्र राधेश्याम।
20/4 संजय पुत्र राधेश्याम।
21 लक्ष्मण पुत्र रामदेव।
22 गुलाबी बेवा रामदेव समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ढ़ाणी तन बासड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
23 गोकुल पुत्र गंगुराम फौत।
23/1 मक्खनलाल पुत्र गोकुलचन्द फौत।
23/1/1 कौशल्या बेवा मक्खनलाल।
23/1/2 राकेश उर्फ नीरज पुत्र मक्खनलाल।
23/1/3 कुलदीप उर्फ बिटटू पुत्र मक्खनलाल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण संगवाल फर्नीचर वर्क्स 18ए बाल विवाह रेल्वे कॉलोनी पृथ्वी सिंह मार्केट जगतपुरा जयपुर।
23/2 बजरंगलाल पुत्र गोकुलचन्द।
23/3 विनोद पुत्र गोकुलचन्द।
23/4 फुली देवी पुत्री गोकुलचन्द समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ढ़ाणी तन बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
24 अणची बेवा श्योनारायण फौत।
24/1 बनवारी दत्तक पुत्र श्योनारायण।
24/2 सजनी देवी पुत्र श्योनारायण।
24/3 मेवा देवी पुत्री श्योनारायण।
24/4 कमली देवी पुत्री श्योनारायण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

25 छाजूलाल पुत्र मांगीलाल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ढ़ाणी बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
26 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।

रेस्पोडेंट

अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील भू-प्रबन्ध न्यायालय सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व डिक्री एवं निर्णय दिनांक 31.03.2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस. दावा संख्या 23/2000 बउनवानी मु0 नर्बदा बनाम माली देवी दावा बाबत इस्तकरार हक विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2000 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम झिराणा तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 3492 बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादीगण द्वारा इनसे कोई जिरह नही की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश से दिनांक 28.10.2006 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। विचाराधीन निर्णय में इस पर कोई विवेचन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 1979 पंजाब एण्ड हरियाणा पेज 154, ए.आई.आर. 1986 कलकता पेज 430 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज से विवादित भूमियां पैतृक होना साबित नही है। खसरा गिरदावरी में अपीलांट एवं उनके पूर्वजों का नाम नही है। इनका दावा घोषणा का था हमारा काउन्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा का था। इस बिन्दु पर इनको लाभ नही दिया जा सकता है। अपीलांट विचारण न्यायालय में साक्ष्य से दावा साबित करने में असफल रहा है। अत तनकीवार निर्णय आवश्यक नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1997 पेज 606 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादीगण द्वारा इनसे कोई जिरह नही की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश से दिनांक 28.10.2006 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। विचाराधीन निर्णय में इस पर कोई विवेचन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर वाद एवं काउन्टर क्लेम पर उभयपक्ष को सुनकर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायलय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *